सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री भारत भूषण मंडल, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री विजय कुमार मंडल, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री विजेन्द्र चौधरी, स०वि०स०	''सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र से जुड़े रीगा चीनी मिल के गन्ना उत्पादक किसानों को पिछले छः (6) वर्षो से गन्ना मूल्य का बकाया राशि अंके–52.30 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं हो पाया है जबकि सरकार के द्वारा उक्त बकाया का भुगतान करने हेतु निर्णय कर लिया गया है। उक्त बकाया का भुगतान नहीं होने से गन्ना उत्पादक किसानों में मायुसी छायी हुई है। अतः जनहित में रीगा चीनी मिल से जुड़े किसानों के बकाये गन्ना मूल्य की राशि का भुगतान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।''	गन्ना उद्योग विभाग।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० श्रीमती अरूणा देवी, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०	''बिहार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक कुल 38915 व्यक्तियों की मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य सड़क दुर्घटना के मामले में काफी आगे है। सरकार राज्य के निजी एंबुलेंस को भी आपात सेवा में जोड़ने का आश्वासन देती है, परन्तु सरकार के द्वारा निजी एंबुलेंस को आपातकालीन सेवा में शामिल नहीं किया गया है। सरकारी एंबुलेंस की संख्या काफी कम होने के कारण दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों तक देर से एंबुलेंस पहुँचती है परिणाम स्वरूप अधिकांश पीड़ितों की मौत रास्ते में ही हो जाती है। अत: सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर निजी एंबुलेंस को भी सरकारी एंबुलेंस की तरह आपातकालीन सेवा में जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	स्वास्थ्य विभाग ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/25- 139 /वि०स०, पटना, दिनांक- 1 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 01.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/25- 139 /वि०स०, पटना, दिनांक- 1 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 01.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/25- 139 /वि०स०, पटना, दिनांक- 1 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग/ वित्त विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 01.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/25- 139 /वि०स०, पटना, दिनांक- 1 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 01.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।